फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट
लीला पुत्री भूरसिंह पत्नी ढगलसिंह जाति रावत निवासी फुलाद हाल आसन डाकणिया (करमाल) तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट
1 तहसीलदार मारवाड जंक्शन, जिला पाली
2 सुमीदेवी पुत्री श्री धनसिंह पत्नी रामसिंह, जाति रावत, निवासी हलावट, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली
3 नाथुसिंह पुत्र श्री धनेसिंह जाति रावत निवासी निचला कायवाला (फुलाद) तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
4 योगिता पत्नी मदनसिंह, जाति रावत निवासी ग्वार, फुलाद, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व अपील संख्या 18 / 2018
(आरसीएमएस नम्बर –2018 / 00219)
किस्म मुकद्दमाः अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधि 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.04.2018	अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा ग्राम गुडा सुरसिंह के म्युटेशन संख्या 756 दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो। रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक **21.05.2018** को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली	10/5/18 11/5/18
21/5/2018	वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी मुल्तवी होकर पत्रावली दिनांक 25/5/2018 को पेश हो।	
25/5/18	अपीलार्थी मय अधि० अनु० प्रत्यर्थी० अनु० पत्रावली लोक अदालत / कोर्ट कैम्प म०ज० पेश हुई। पक्षकार सहमत नहीं होने से पत्रावली दिनांक 18/6/18 को पेश हो। अति० जिला कलेक्टर, पाली	
18.06.2018	अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प मारवाड़ जंक्शन में प्रस्तुत हुई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार धनसिंह के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम से दायर किया गया है। उक्त नामान्तरकरण दायर करते समय धनसिंह के साथ साथ सह खातेदार भूरसिंह का नाम भी विलोपित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम पर नामान्तरकरण दायर अति. जिला कलेक्टर, पाली	लीला (अपीलार्थी)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया है। है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को भूरसिंह की पुत्री होना बताते हुए भूरसिंह की संपति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिश होने के नाते हक अधिकार प्रदान कराने का निवेदन किया है। जैर अपील नामान्तरकरण को लेकर पक्षकारान् के मध्य सिविल प्रकरण भी दायर हुआ है, जिसमें पुलिस अनुसंधान में अपीलाण्ट को भूरसिंह की पुत्री होना स्वीकार किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री को प्रथम श्रेणी की वारिश माना गया है। इस आधार पर भूरसिंह के फौत होने पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक भूरसिंह के विधिक वारिशान की जांच किए बिना ही जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है तथा इस प्रकार के आदेश को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम ग्राम गुडा सूरसिंह तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 755 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.06.2016 को को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक भूरसिंह के विधिक वारिशान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भिजवाया जावे। **अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली**	